

राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का अंतरण  
(केन्द्रीय करों और शुल्कों से हुई निवल आय की राज्यों की हिस्सेदारी को छोड़कर)

(₹ करोड़)

व्यय की मर्दें	2018-2019 वास्तविक	2019-2020 बजट अनुमान	2019-2020 संशोधित अनुमान	2020-2021 बजट अनुमान
<b>I. अंतरण की कुछ महत्वपूर्ण मर्दें</b>	<b>46235.96</b>	<b>54580.81</b>	<b>57343.84</b>	<b>73274.99</b>
क एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता	10000.00	10000.00	20000.00	25000.00
ख उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए केंद्रीय पूल संसाधन	450.21	392.00	380.21	407.16
ग विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं-अनुदान	2824.08	4500.00	3000.00	4000.00
घ विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं-ऋण	23774.10	19723.28	25000.00	25000.00
ङ उत्तर पूर्वी परिपद की योजनाएं	444.99	325.77	323.87	287.32
च संविधान के अनुच्छेद 275(1) के उपबंध के तहत योजनाएं	1814.99	2320.75	2320.75	1198.50
छ राज्यों को अंतरण-मांग के अंतर्गत विशेष सहायता	4685.81	15000.00	4000.00	15000.00
ज सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग-मांग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को विशेष केन्द्रीय सहायता	896.78	1074.00	1074.00	1172.00
झ जनजातीय कार्य मंत्रालय-मांग के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र को विशेष केन्द्रीय सहायता	1345.00	1245.01	1245.01	1210.01
<b>II. वित्त आयोग अनुदान</b>	<b>93703.58</b>	<b>120466.22</b>	<b>123709.88</b>	<b>149924.80</b>
क स्थानीय निकायों के लिए अनुदान- ग्रामीण निकाय	35063.89	52557.60	58615.66	69924.79
ख शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	14399.56	23358.77	25843.09	30000.00
ग एनडीआरएफ के लिए सहायता अनुदान	9658.13	10343.85	10937.63	20000.00
घ अन्य अनुदान	...	...	...	0.01
ङ अंतरण के पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान	34582.00	34206.00	28313.50	30000.00
<b>III. राज्यों को अंतरण [(I)+(II) से अन्य]</b>	<b>286045.93</b>	<b>335219.94</b>	<b>322442.58</b>	<b>335877.96</b>
क केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) <sup>^</sup>	271478.36	292002.57	283057.35	295268.74
ख केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) <sup>^</sup>	13628.56	42075.51	38226.81	39450.93
ग व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत (राजस्व) <sup>^</sup>	884.35	1032.90	1054.55	1065.63
घ पूंजी अंतरण	54.66	108.96	103.87	92.66
<b>IV. दिल्ली, पुदुचैरी तथा जम्मू और कश्मीर को अंतरण</b>	<b>7954.53</b>	<b>10028.22</b>	<b>28418.76</b>	<b>47407.66</b>
क केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) <sup>^</sup>	793.18	2025.80	1999.37	5603.22
ख केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) <sup>^</sup>	0.51	89.41	222.13	299.41
ग व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत (राजस्व) <sup>^</sup>	7031.23	7613.00	25972.25	41355.02
घ पूंजी अंतरण	129.61	300.01	225.01	150.01
<b>कुल जोड़</b>	<b>433940.00</b>	<b>520295.19</b>	<b>531915.06</b>	<b>606485.41</b>

यह विवरण राज्यों से संबंधित प्रमुख शीर्षों और राज्यों को अंतरण के संदर्भ में राजस्व व्यय खंड के तहत कतिपय कार्यात्मक प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत किए गए आवंटन को दर्शाता है।

<sup>^</sup> पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए किए गए प्रावधान भी शामिल हैं।